न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर

महावीर खराड़ी आर0ए0एस0

अपील सं0 04/2018

1. जमना पत्नी स्व0 मोहनदास जाति स्वामी निवासी भोजासर छोटा तहसील सरदारशहर जिला चूरू ।

अपीलांट

बनाम

1. बृजलाल पुत्र पूर्णदास जाति स्वामी निवासी भोजासर छोटा तहसील सरदारशहर जिला चूरू ।
2. रामेश्वर पुत्र पूर्णदास जाति स्वामी निवासी भोजासर छोटा तहसील सरदारशहर जिला चूरू ।
3. शंकरदास पुत्र गणेशदास जाति स्वामी निवासी भोजासर छोटा तहसोल सरदारशहर जिला चूरू ।
4. हेतराम पुत्र गणेशदास जाति स्वामी निवासी भोजासर छोटा तहसील सरदारशहर जिला चूरू ।
5. किशनदास पुत्र पेपदास जाति स्वामी निवासी भोजासर छोटा तहसील सरदारशहर जिला चूरू ।
6. कानदास पुत्र पेपदास जाति स्वामी निवासी भोजासर छोटा तहसील सरदारशहर जिला चूरू ।
7. सन्तदास पुत्र बूधदास जाति स्वामी निवासी भोजासर छोटा तहसील सरदारशहर जिला चूरू ।
8. रामलाल पुत्र बूधदास जाति स्वामी निवासी भोजासर छोटा तहसील सरदारशहर जिला चूरू ।
9. राजस्था राज्य जरिये तहसीलदार सरदाशहर एवं पदेन उपपंजीयक सरदारशहर।
10. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार भानीपूरा एवं पदेन उपपंजीयक भानीपूरा ।

रेस्पोडेण्टस

उपस्थितः— 1. श्री राजेश बैध अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शंकरदास स्वामी अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर जिला चूरू के अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक 27.12.2017 के विरूद्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांकः—25.03.2022

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय सरदारशहर के अंतरिम आदेश दिनांक 27.12.2017 के विरूद्व न्यायालय हाजा में पेश हुई है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खेत ख0न0 423 तादादी 23.04 बीघा एवम ख0न0 968/336 तादादी 20 बीघा मे से 255 बिश्वा अविभाजित कृषि भूमि स्व0 मोहनदास के नाम दर्ज रेकार्ड है मोहनदास के एकमात्र वारिस पत्नी अपीलांटा ही है । रेस्पो0 सं0 1 द्वारा कूटरचित फर्जी दस्तावेजो के आधार पर स्वयं को मोहनदास का गोद पुत्र बताकर अपीलांटा के विरूद्व एक घोषणात्मक चिरनिषेधाज्ञा व विभाजन का दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर अंतरिम आदेश दिनांक 27.12.2017 का प्राप्त कर लिया जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।
2. अपीलांट् पक्ष के योग्य अभिभाषक ने अपनी लिखित बहस व अपील के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया है कि वादगत कृषि भूमि ख0न0 423 तादादी 23.04 बीघा एवम ख0न0 968/336 तादादी 20 बीघा मे से 255 बिश्वा अविभाजित कृषि भूमि स्व0 मोहनदास के नाम दर्ज रेकार्ड है । स्व0 मोहनदास के एकमात्र वारिस उनकी पत्नी अपीलांटा जमना ही है । इसके अलावा इनके कोई जायज व कानूनी वारिस नही है ओर ना ही स्व0 मोहनदास व अपीलांटा ने कभी किसी को गोद ही नही लिया, ना ही कोई गोद की रश्म, उत्सव आदि किया । रेस्पो0 बृजलाल ने समस्त कथन मनगढत व बनावटी तौर पर अपने दावे व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में अंकित किये थे जिनका खंडन अपीलांटा अपने जवाब व शपथ पत्र के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये थे फिर भी बिना किसी दस्जावेजी साक्ष्य या ठास मौखिक साक्ष्य के अधीनस्थ न्यायालय में प्रथम दृष्टया मामला रेस्पो0 के कथन के आधार पर मानते हुए आदेश कर दिया । इसी प्रकार वादगत भूमि पर अपीलांटा जमना का शांति पूर्ण कब्जा काश्त है ओर इसे साबित भी किया किन्तु रेस्पो0 बृजलाल के द्वारा वादगत कृषि भूमि पर कब्जा अथवा स्वामित्व किसी भी रूप में साबित नही किये जाने के बावजूद सुविधा का संतुलन रेस्पो0 बृजलाल के पक्ष में साबित किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 बृजलाल ने अपने आप को स्व0 मोहनदास अपीलांटा जमना का गोद पुत्र घोषित करवाने के छुपे अनुताष के साथ दावा प्रस्तुत किया जबकि रेस्पो0 बृजलाल मोहनदास का गोद पुत्र नही है ना ही उसके द्वारा हिन्दु दत्तक ग्रहण व भरण पोषण अधिनियम नियम 1956 में दिये गये प्रावधानो के अनुसार रजिस्ट्रर्ड गोदनामा होना सिद्व किया । केवल मात्र मौखिक रूप से मनगढत कहानी बनाकर

अपने आप को गोद पुत्र साबित करना चाहता है जिसका क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नही है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के प्रभाव से वादगत भूमि एक मृत व्यक्ति के नाम से ही दर्ज रहेगी जबकि कानूनन राजस्व रेकार्ड में खातेदार की मृत्यु के पश्चात जायज वारिसान के नाम दर्ज हो जानी चाहिये थी । इस वाद में स्व0 मोहनदास की एकमात्र जायज वारिस अपीलांटा जमना ही है । अधीलन्थ न्यायालय में रेस्पो0 के दत्तक पुत्र होने पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए अपीलांटा ओर से प्रस्तुत जवाब अभिकथन में रेस्पो0 के द्वारा किये गये सभी कथनो को इंकार किया गया । स्व0 मोहनदास ने ना तो रेस्पो0 बृजलाल को गोद लिया, ना गोद की रश्म अदा की, ना ही रेस्पो0 की शादी दत्तक पिता के रूप में की, ना ही रेस्पो0 ने स्व0 मोहनदास का अंतिम संस्कार किया, ना ही रेस्पो0 मोहनदास के दत्तक पुत्र के नाम से जाना पहचाना जाता था । इन सभी बिंदुओं को दरकिनार कर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 22.12.2017 पारित कर कानूनन भूल की है । हिन्दु दत्तक ग्रहण अधिनियम 1956 में स्पष्ट है कि कोई भी हिन्दु व्यक्ति दत्तक ग्रहण करता है तो दत्तकग्रहण दस्तावेज लिखित में होना चाहिये मौखिक दत्तकग्रहण की काई व्यवस्था इस अधिनियम में नही है । इस संबंध में एक न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2018 (1) पेज 692 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 सेक्शन 212 Trial court dismissed the application but revenue appleeate Authority set aside the order-petitioner is recorded khatedar- Question of adopted son would be decided in suit after trial-held, No temporary injuncation can be granted against the petitioner-order set aside (पेरा4) । अधीनस्थ न्यायालय ने सुविधा का संतुलन अर्हता का निर्धारण भी रेस्पो0 के हक में गलत रूप से तय किया है चूंकि प्रथम दृष्टया मामला ही रेस्पो0 के पक्ष में नही था, ना ही वादगत भूमि पर रेस्पो0 का कब्जा काश्त किसी भी रूप से साबित था । अपूर्ण क्षति का बिन्दु भी अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षपात पूर्ण व मनमाने व स्वेच्छाचारी तरिके से तय किया है चूंकि वादगत भूमि पर अपीलांटा जमना का कब्जा है अपीलांटा जमना मृतक खातेदार स्व0 मोहनदास की बैवा है जो मृतक खातेदार की एकमात्र जायज कानूनी वारिस है । अपीलांटा एक वृद्व ग्रामीण परिवेष की महिला है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत यह कृषि भूमि है इसके अलावा आय को कोई साधन नही है । अपीलांटा अपनी सवेधानिक अधिकार प्राप्त वादगत भूमि में किसी प्रकार का परिवर्तन, परिवर्धन नही कर पा रही है, ना ही वादगत भूमि का समुचित उपयोग कर अपनी आजीविका चला पा रही है ओर ना ही टयुबवैल कृषि कनैक्शन मिल रहा है । हर कार्य में अस्थाई निषेधाज्ञा बाधक बन रहा है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2017 को अपास्त किया जाकर अपीलांटा की अपील स्वीकार की जावे ।

3. रेस्पो0 अभिभाषक ने अपीलांट की लिखित बहस को नकारते हुऐ अपनी बहस में कथन किया कि वादगत कृषि भूमि ख0न0 423 तादादी 23.04 बीघा एवम ख0न0 968/336 तादादी 20 बीघा मे से 255 बिश्वा अविभाजित कृषि भूमि स्व0 मोहनदास के नाम दर्ज रेकार्ड है । जिस बाबत एक वाद पत्र धारा 88,188, 92 एं आरटीएक्ट

एवम प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीएक्ट का प्रस्तुत किया । मोहनदास पुत्र हरिदास जाति स्वामी निवासी भोजासर द्वारा दिनांक 09.05.97 वार शुक्रवार वैशाख शुक्ल अक्षया तृतीया को रेस्पो0/वादी को गोद लिया था उस समय रेस्पो0/वादी की उम्र 8 वर्ष थी उस समय गोद की सम्पूर्ण रश्म हिन्दु धर्म के अनुसार अदा की गयी थी । तभी से रेस्पे0/वादी बृजलाल मोहनदास का पुत्र कहलाता आ रहा है । समाज में मोहनदास का पुत्र बृजलाल ही कहलाता है । उक्त गोदनामा मौखिक हुआ था ओर रितिरिवाजो के अनुसार गोद की रश्मे अदा की गयी थी । गोद की रश्म के बाद आज तक सभी कागजात में रेस्पो0/वादी बृजलाल मोहनदास का पुत्र कहलाता है । रेस्पो0/वादी के पिता के नाम से राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिवार राशन कार्ड सं0 00261 ग्राम भोजासर छोटा पंचायत समिति सरदारशहर मे मुखिया का नाम मोहनदास पिता का नाम हरिदास अंकित है । उक्त राशनकार्ड में क्रम सं0 3 पर बृजलाल उम्र 24 वर्ष मुखिया से संबंध बेटा दर्ज है । रेस्पो0/वादी के नाम से भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र सं0 ZXY/0702829 में प्रार्थी के पिता का नाम मोहनदास दर्ज ह व पता मोहनदास के घर का है । इसी तरह आधार कार्ड व अन्य कागजात भी बृजलाल पुत्र मोहनदास के नाम से जारी किये हुए है । रेस्पो0/वादी का विवाह भी दत्तक पिता मोहनदास के द्वारा बनियासर गांव में किशनदास की लडकी कृष्णा के साथ किया गया था जिसकी सारी रश्में दत्तक पिता मोहनदास व माता जमना के द्वारा अदा कि गयी थी । रेस्पो0/वादी के पिता मोहनदास का स्वर्गवास दिनांक 08.12.2016 को हो गया जिसकी समस्त रश्म बतौर पुत्र रेस्पो0/वादी ने अदा की थी । रेस्पो0/वादी के पिता की मृत्यु के पश्चात माता जमना अपने देवर गणेशदास के बहकावे में आकर वादगत कृषि भूमि चल व अचल सम्पति को उनको देने व खुर्द बुर्द करने पर उतारू हो गयी । रेस्पो0/वादी के पिता की मृत्यु के पश्चात वादगत कृषि भूमि अकेले माता जमना के नाम चड़ जाती है तो वह गलत रूप से उक्त भूमि को हस्तांतरण व खुर्द बुर्द कर देगी । जिससे रेस्पो0/वादी अपने हक हिस्से से महरूम रह जायेगा जिस बाबत अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन व अपूर्ण क्षति के सिद्वांत को रेस्पो/वादी के द्वारा साक्ष्य व सबुतो के साथ साबित करने के पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आदेश दिनांक 27.12.17 सुनाया गया जो हर प्रकार से न्यायोचित है । रेस्पो0 अभिभाषक द्वारा अपनी बहस के सर्मथन में न्यायिक दृष्टांत राजस्थान उच्च न्यायालय के ओमप्रकाश बनाम ताराचंद 12 जनवरी 1977 का निर्णय,माननीय उच्चतम न्यायालय सिविल अपील सं0 9084/2012, एसएलपी सं0 16063/2007 निर्णय दिनांक 14.12.2012उनवान परमपालसिंह नेशनल इंश्योरेंस । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावतर खा जावे ।

4. हमने अधिवक्ता अपीलांट की लिखित बहस व रेस्पो0 की बहस सूनी व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया जिससे साबित होता है कि वादगत कृषि भूमि खेत ख0न0 423 तादादी 23.04 बीघा सम्पूर्ण हिस्सा मोहनदास के नाम, ख0न0 968/336 तादादी 20 बीघा में मोहनदास 255 बिस्वा का

हिस्सेदार है । स्व0 मोहनदास का उक्त भूमि में विरासतन रूप से हिस्सा चला आ रहा है । मोहनदास पुत्र हरिदास के कोई संतान नही थी । रेस्पो0/प्रार्थी बृजलाल स्वयं को मोहनदास का दत्तक पुत्र बताते हुऐ वादगत भूमि में 1/2 हिस्से का खातेदार बनना चाहता है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों में बृजलाल द्वारा मोहनदास के दत्तक पुत्र होने का पंजीकृत गोदनामा पेश नही किया है एवम पत्रावली पर ऐसा कोई सामाजिक पंचो मौजिज ग्रामीणों के हस्ताक्षरयुक्त अपंजीकृत लेख आदि का साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे यह साबित हो की बृजलाल मोहनदास का दत्तक पुत्र है । गोद लेने के संबंध में रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत विवाह संबंधी साक्ष्य फोटो से यह साबित नही होता है कि बृजलाल मोहनदास का दत्तक पुत्र है । रेस्पो0 को इस संबंध में गोद लेने या देने की प्रक्रिया का फोटो या लिखित प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिये था । पैतृक सम्पति के संबंध में यदि पिता के कोई संतान नही होती है तो पति की मृत्यु के पश्चात नियमानुसार सम्पूर्ण सम्पति की अधिकारिनी पत्नी होती है ओर वो राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज करवाने हेतु अधिकारिनी है । सम्पति के हक, अधिकार व वारिसान आदि का दावा अंतगत धारा 88 व 188 , 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अधीनस्थ न्यायालय मे जैरकार है जिसका निर्णय होना शेष है ।

5. अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आशिंक स्वीकार की जाती है एवम अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.12.2017 को अपास्त किया जाता है प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) कर निर्देश दिये जाते है कि वादगत कृषि भूमि में जमना पत्नी मोहनदास के नाम नामान्तरकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें । तहसीलदार व सक्षम प्राधिकारी मोहनदास की सम्पूर्ण भूमि में राजस्व रेकार्ड मे जमना का नाम इन्द्राज करें साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि ता वाद फैसला जमना वादगत कृषि भूमि पर उपयोग/उपभोग की अधिकारिनी है परन्तु बेचान व हस्तान्तरण न करने हेतु पाबन्द किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय दावे का निस्तारण करने से पूर्व गोदनामें के संबंध में साक्ष्यों सबुतो की भलीभांती जांचकर एवम तनकियात कायम कर निर्णय दो माह में पारित करें । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो । अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय निर्णय प्रति के लोटाई जावे ।
6. निर्णय आज दिंनाक 25.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महावीर खराड़ी)
भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर